## अंतरिम कार्यवाही दिनांक 06.04.18

आवेदक पक्ष के निवेदन पर न्यायहित में दर्शित आधार पर यह प्रकरण, जो कि इस 10 वर्ष से अधिक पुराना है, को आज सुनवाई में लिया गया।

> आवेदक पक्ष द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता उप0। अनावेदक पक्ष द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता उप0।

अनावेदक पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सहवन से त्रुटिवश प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 14.09.09 से मूल प्रकरण की प्रतीक्षा के स्थान पर आदेश की प्रतीक्षा हेतु नियत हो गया है और प्रकरण में कोई कार्यवाही स्टे नहीं है।

आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने भी उपरोक्तानुसार त्रुटि हो जाना बताया है।

उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते ह्ये प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि वर्तमान में यह प्रकरण पेशी दिनांक 21.04.18 के लिये मा० म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर से आदेश की प्रतीक्षा हेत् नियत है और इससे पूर्व की आदेश पत्रिकाओं में प्रकरण में कार्यवाही स्थगित होने के संबंध में लेख किया गया है, जबकि प्रकरण में कोई भी मा० म.प्र. उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश संलग्न नहीं है तथा प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक पक्ष द्वारा सिविल प्रकरण क्रमांक 14ए/03 में घोषित निर्णय दिनांक 25.10.05 के अंतिम पैरा में टंकण / लिपकीय त्रुटि के कारण 35 हजार के स्थान पर 45 हजार लेख हो जाने से निर्णय में त्रुटि सुधार हेत् आवेदन पत्र धारा 152 सी0पी0सी0 का पेश किये जाने पर से यह विविध सिविल प्रकरण उदभूत हुआ है और उक्त प्रकरण में तदनुसार मूल सिविल प्रकरण तलब किये जाने पर मांगपत्र में अंकित टीप के अनुसार प्रकरण मा० म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीट ग्वालियर से मूल प्रकरण की प्रतीक्षा हेतू दिनांक 10.07.09 तक नियत रहा है उसके पश्चात आदेश पत्रिका दिनांक 14.09.09 को सहवन से त्रुटिवश यह लेख कर दिया गया है कि मा० उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त नहीं और प्रकरण में कार्यवाही स्थगित है।

अतः न्यायहित में अनावेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त निवेदन तात्विक होना पाये जाने से न्यायहित में त्रुटि सुधार करते हुये यह विविध प्रकरण मूल सिविल प्रकरण की प्रतीक्षा हेतु नियत किया जाता है और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकरण में कोई भी कार्यवाही मा० म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के आदेशानुसार स्थगित नहीं है।

इसी समय आवेदक पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह विविध प्रकरण मात्र संशोधन की कार्यवाही हेतु वर्ष 2006 से अर्थात 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित है और तभी से यह प्रकरण मूल सिविल प्रकरण की प्रतीक्षा में हैं। अतः उन्होंने 10 वर्ष से अधिक पुराना प्रकरण होने के कारण इस प्रकरण को स्वेच्छयापूर्वक बल नहीं देना व्यक्त करते हुये निवेदन किया है कि मूल सिविल प्रकरण के वापस प्राप्त होने पर वे लिपकीय / गणितीय सुधार के संबंध में तत्समय आवेदक पक्ष द्वारा धारा 152 सी०पी०सी० का आवेदन पत्र इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने हेत् प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

प्रकरण की परिस्थितियों में उक्त निवेदन उचित प्रतीत होने से स्वीकार कर यह प्रकरण आवेदक पक्ष के निवेदन अनुसार निरस्त किया जाता है।

STEAN ST

प्रकरण में आगामी तिथि निरस्त हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो।

> (सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड